<u>न्यायालय—मनीष कुमार लोवंशी, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), इंदौर (म.प्र.)</u>

<u>अपराध क्रमांक 503/2026</u>

म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र कनाडिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश

.......................अभियोगी

वि रू द्ध

साजिद व अन्य,

.... आरोपीगण

<u>एम.जे.सी.आर क्रमांक 3319/2026</u>

सुन्नत बी पति इस्लाम पटेल,
निवासी—430, गौया रोड, कनाडिया इंदौर म.प्र.

..................आवेदिका/सुपुर्ददार

<u>एम.जे.सी.आर क्रमांक 3320/2026</u>

इसराईल पटेल पिता इस्लाम पटेल,
निवासी—हीना पैलेस कनाडिया, इंदौर

..................आवेदक/आरोपी/सुपुर्ददार

07.08.2026

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम दांगी उपस्थित।

आरोपी साजिद न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल से उसका वारंट पेश।

आवेदक/आरोपी/सुपुर्ददार इसराईल एवं आवेदिका/सुपुर्ददार सुन्नत बी सहित श्री तौसिफ वारसी अधिवक्ता।

प्रकरण केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं सुपुर्दगी आवेदनों पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र कनाडिया, इंदौर से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दगी आवेदनों पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदिका सुन्नत बी पति इस्लाम पटेल, निवासी–430, गौया रोड, कनाडिया इंदौर म.प्र. की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदिका सुन्नत बी पति इस्लाम पटेल, निवासी–430, गौया रोड, कनाडिया इंदौर म.प्र. की ओर से प्रकट किया गया है कि उसके स्वामित्व की गेलेसियर वाईट पर्ल वाहन क्रमांक MP 09 ZG 3434 को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। उक्त वाहन को वह सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहती है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। उक्त वाहन उसके दैनिक उपयोग का है जो थाने में खराब हो सकता है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन अंतरिम सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति पेश की।

आरक्षी केन्द्र कनाडिया, इंदौर द्वारा जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने में आपत्ति होना व्यक्त किया गया है।

प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि थाना कनाडिया, इंदौर के अपराध क्रमांक 503/2026 में कार क्रमांक MP 09 ZG 3434 को जप्त किया गया है। वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति के अवलोकन से उक्त वाहन आवेदिका सुन्नत बी के स्वामित्व को होना दर्शित होता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदिका का उक्त वाहन यदि थाने में रखा रहा तो आवेदिका के वाहन में यांत्रिक खराबी आना संभावित है व आवेदिका को आर्थिक क्षति होना संभव है।

अतएव समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत आवेदिका/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि **आवेदिका द्वारा यदि 10,00,000/– रूपये का सुपुर्दनामा** निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत करे तो उसे जप्तशुदा वाहन **<u>प्रकरण के अंतिम निराकरण तक</u>** अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे।

1. आवेदिका उक्त वाहन को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्वयं या किसी माध्यम से किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेगी।

2. आवेदिका वाहन के स्वरुप एवं रंग आदि में कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

3. आवेदिका न्यायालय के द्वारा आदेशित किये जाने पर वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

4. थाना प्रभारी वाहन की फोटोग्राफी हर कोनों से करवाकर न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

एमजेसी प्रकरण को सीआईएस में डिस्पोस कर आदेश अपलोड किया जावे।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/आरोपी/सुपुर्ददार इसराईल पटेल पिता इस्लाम पटेल, निवासी–हीना पैलेस कनाडिया, इंदौर की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 497, 503 बीएनएसएस का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/आरोपी/सुपुर्ददार इसराईल पटेल पिता इस्लाम पटेल, निवासी–हीना पैलेस कनाडिया, इंदौर की ओर से प्रकट किया गया है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का आईफोन मोबाईल, जिसका आईएमईआई नंबर 358378921351886 एवं 358378921766828 है, को एवं एक सेमसंग झेल फोल्ड 7 मोबाईल, जिसका आईएमईआई नंबर 35468561206860 है को एवं 13,000/– रूपये नगद को एवं एक घडी को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। उक्त जप्तशुदा दोनों मोबाईल एवं घडी यदि थाने में रखे रहे तो उनमें खराबी आ जाने की पूर्ण संभावना है। उक्त को वह सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहता है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन दोनों मोबाईल, घडी एवं 13,000/– रूपये नगद को अंतरिम सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में दोनों मोबाईल के बिलों की प्रति पेश की।

आरक्षी केन्द्र कनाडिया, इंदौर द्वारा जप्तशुदा मोबाईल व रूपये जप्त न होना बताया गया है।
को सुपुर्दगी पर दिए जाने में आपत्ति होना व्यक्त किया गया है।

केस डायरी एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना कनाडिया, इंदौर के अपराध क्रमांक 503/2026 में संलग्न जप्ती पत्रक अनुसार आईफोन मोबाईल, सेमसंग झेल फोल्ड 7 मोबाईल, 13,000/– रूपये नगद एवं एक घडी को जप्त नहीं किया गया है। अतः उक्त दोनों

मोबाईल, नगदी एवं घडी जप्त नहीं किये जाने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आवेदन को सीआईएस में डिस्पोस कर आदेश अपलोड किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 21.08.2026 को पेश हो।

मनीष कुमार लोवंशी
विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट,
इंदौर

MANISH KUMAR LOWANSHI

Digitally signed by MANISH KUMAR LOWANSHI
Date: 2026.08.07 16:51:54 +0530